माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुहास चकमा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (रिट याचिका संख्या 1082/2020) में जारी निर्देशों के अनुपालन में

न्यायालय सेशन न्यायाधीश, भरतपुर (राज.)

राकेश कुमार	: राजस्थान राज्य, जरिये लोक अभियोजक
जमानत प्रार्थनापत्र संख्या :	05/2026 (सी.आई.एस. नं. 07/2026)
आदेश दिनांक :	**17.01.2026**
आदेश का प्रकार : (अ) जमानत अस्वीकृत (ब) दोषसिद्धि/अपील अस्वीकृत (स) दोषमुक्ति से पलट कर दोषसिद्धि	**जमानत अस्वीकृत**

अभियुक्त/आवेदक को सूचित किया जाता है कि वह इस न्यायालय आदेश के विरुद्ध उपचार प्राप्त करने हेतु निःशुल्क विधिक सेवा निम्नलिखित स्थानों पर प्राप्त कर सकता है :-

ताल्लुका विधिक सेवा समिति/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति (न्यायालय में स्थित) :	**उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति**
विधिक सेवा समिति का पता :	**उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर (राज.)**
फोन नम्बर :	**0141-2227481**
टोल फ्री नम्बर :	**9928900900**
हैल्प लाइन नम्बर :	**15100**

न्यायालय सेशन न्यायाधीश, भरतपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : बलजीत सिंह, आर.जे.एस. (जिला न्यायाधीश संवर्ग)
जमानत प्रार्थनापत्र संख्या : 05/2026 (सी.आई.एस. संख्या 07/2026)

राकेश कुमार पुत्र श्री अशोक कुमार, उम्र 26 वर्ष, निवासी भुसावर, पुलिस थाना भुसावर, जिला भरतपुर (राज.)

----- आरोपी/प्रार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य, जरिये लोक अभियोजक, भरतपुर

----- अप्रार्थी/अभियोगी

जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023, बमुकदमा सेशन प्रकरण संख्या ...../2026 (एफ.आई.आर. संख्या 703/2025, पुलिस थाना मथुरा गेट, भरतपुर), उनवानी राजस्थान राज्य बनाम उमरावमल वगैरह, अपराध अंतर्गत धारा 3, 5, 21, 23 अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम, 2019, धारा 3, 4 इनामी चिट फण्ड और धन परिचालन स्कीम अधिनियम, 1978 एवं धारा 318(4), 316(2), 112(2) बी.एन.एस. एवं धारा 66डी आई.टी. एक्ट,

---

उपस्थिति :-

1. श्री दिलीप कुमार शर्मा, विद्वान् अधिवक्ता आरोपी/प्रार्थी।
2. श्री नरेश चन्द, विद्वान् लोक अभियोजक।

आ दे श **दिनांक : 17.01.2026**

1. आरोपी/प्रार्थी राकेश कुमार की ओर से धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के तहत जमानत प्रार्थनापत्र पेश किए जाने पर नकल प्रार्थनापत्र विद्वान् लोक अभियोजक को दिलाई जाकर केस डायरी/चालान पत्रावली तलब की गई एवं बहस जमानत प्रार्थनापत्र सुनी गई।

2. आरोपी/प्रार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया गया कि आरोपी/प्रार्थी को प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। उसका XPO.RU कम्पनी के साथ कोई संबंध नहीं है, न ही उस द्वारा किसी व्यक्ति को इस कम्पनी में पैसा लगाने हेतु उत्प्रेरित व प्रोत्साहित किया गया। इस प्रकरण में होतम सिंह पुलिसकर्मी द्वारा शिकायत दर्ज करवाई गई है जो कि पीड़ित व्यक्ति नहीं है। पुलिस द्वारा तुलाराम नाम के व्यक्ति को पकड़कर उस पर दबाव देकर आरोपी/प्रार्थी के विरुद्ध उसे गवाह बनाया गया है। आरोपी/प्रार्थी को केवलमात्र अतुल कुमार, जो इस प्रकरण का सह-अभियुक्त है, उसके द्वारा पुलिस अभिरक्षा में किए गए कथनों के आधार पर आरोपी बनाया गया है, जबकि किसी सह-

अभियुक्त द्वारा पुलिस अभिरक्षा में किए गए कथन साक्ष्य में ग्राह्य नहीं हैं, न ही उक्त साक्ष्य के आधार पर उसे प्रकरण में दोषी माना जा सकता है। उन द्वारा तर्क दिया गया कि आरोपी के घर की तलाशी में जो 8 लाख 90 हजार रुपये नकद मिलना बताया गया है, वह आरोपी/प्रार्थी की स्वयं की कमाई के रुपये हैं। पुलिस द्वारा आरोपी/प्रार्थी तथा उसके परिवार को प्रताड़ित किया जा रहा है। उन द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि प्रकरण में आरोपपत्र पेश किया जा चुका है और पुलिस द्वारा किए गए अनुसंधान में आरोपी/प्रार्थी के विरुद्ध कोई भी अपराध प्रमाणित नहीं माना जा सकता है। अनुसंधान अधिकारी आरोपी/प्रार्थी के विरुद्ध किसी प्रकार की ऐसी साक्ष्य एकत्रित करने में असफल रहा है जो आरोपी/प्रार्थी को XPO.RU कम्पनी द्वारा की गई कथित धोखाधड़ी के साथ जोड़ता हो। आरोपी/प्रार्थी के विरुद्ध धोखाधड़ी का कोई प्रकरण प्रथम-दृष्ट्या प्रमाणित नहीं होता है, न ही कोई अपराध अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम (BUDS Act) के तहत प्रमाणित होता है। उन द्वारा तर्क दिया गया कि अनुसंधान अधिकारी द्वारा केवल यह निष्कर्ष दिया गया है कि आरोपी के मोबाइल के ट्रांसलिंक पर भारी मात्रा में राशि का ट्रांजेक्शन हुआ है, किन्तु वह पैसा किसको दिया गया और कहां से आया, इसके संबंध में कोई भी रिपोर्ट आरोपपत्र के साथ प्रस्तुत नहीं की गई है। आरोपी/प्रार्थी से कोई बरामदगी शेष नहीं है। प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना है। आरोपी/प्रार्थी जिला भरतपुर का स्थायी निवासी है, जिसके न्यायिक प्रक्रिया से भागने का कोई अंदेशा नहीं है। इसलिए उसे जमानत का लाभ दिए जाने का निवेदन किया।

3. विद्वान् लोक अभियोजक द्वारा उक्त तर्कों का जोरदार खण्डन करते हुए दलील दी गई कि आरोपी/प्रार्थी तथा अन्य आरोपीगण द्वारा आपस में आपराधिक षडयंत्र कर संगठित अपराध के रूप में लोगों को XPO.RU कम्पनी के साथ जोड़ने और उच्च लाभ का लालच देकर निवेश करने के लिए उत्प्रेरित व उत्साहित किया गया है। आरोपी/प्रार्थी तथा अन्य आरोपीगण द्वारा 1 लाख 70 हजार लोगों से XPO.RU कम्पनी में निवेश करवाया गया और आरोपी/प्रार्थी तथा अन्य आरोपीगण द्वारा उपरोक्त कम्पनी में भोले-भाले लोगों द्वारा लालचवश निवेश करवाकर भारी मात्रा में कमीशन की राशि अर्जित की गई है। आरोपी/प्रार्थी के कब्जे से धारा 23(2) बीएस.ए. की सूचना पर 8 लाख 90 हजार रुपये नकद, 2 सोने जैसी धातु की अंगूठी, बृजेश के नाम कुल 3 प्रोपर्टी के कागजात, 2 मोबाइल फोन स्विच ऑफ अवस्था में, चांदी के सिक्के तथा अन्य सोने व चांदी के गहने बरामद किए गए हैं। आरोपी के मोबाइल फोनों के विश्लेषण से XPO.RU से संबंधित पेमेंट लेने की चैट पाई गई है और उसके ट्रांसलिंक वॉलेट में यूएसडीटी के भारी मात्रा में ट्रांजेक्शन पाए गए हैं। यह पैसा वह XPO.RU के लिए एकत्रित करता था। आरोपी/प्रार्थी की XPO.RU की वेबसाइट पर निवेश में पूर्ण संलिप्तता प्रमाणित पाई गई है। आरोपी/प्रार्थी के विरुद्ध लगाए गए आरोप प्रथम-दृष्ट्या प्रमाणित हैं। प्रकरण में अभी भी अनुसंधान चल रहा है एवं अन्य आरोपीगण की गिरफ्तारी शेष है। आरोपी/प्रार्थी को अगर

जमानत का लाभ दिया जाता है तो उससे प्रकरण के शेष अनुसंधान तथा साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करने एवं गवाहों को डराने-धमकाने की पूर्ण संभावना है। उन द्वारा तर्क दिया गया कि इस प्रकरण के अतिरिक्त अन्य पीड़ितों द्वारा XPO.RU कम्पनी के विरुद्ध प्रकरण दर्ज करवाए गए हैं जो अनुसंधानाधीन हैं। उन द्वारा तर्क दिया गया कि XPO.RU कम्पनी द्वारा आम जनता के साथ लगभग 3100 करोड़ रुपये का फ्रॉड किया गया है और उनकी कमाई को हड़प किया गया है। इसलिए आरोपी/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र खारिज किए जाने का निवेदन किया गया।

4. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनांक 12.11.2025 को होतम सिंह, उप-निरीक्षक को मुखबिर खास से सूचना मिलने पर जानकारी में आया कि XPO.RU नामक वेबसाइट व मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से आम जनता को निवेश के नाम पर उच्च लाभ एवं बोनस का लालच देकर धनराशि एकत्र की जा रही है। एप्लीकेशन में लोगों को रैफर एण्ड अर्न रोजाना/हफ्ते में ज्यादा ब्याज तथा सदस्य बढ़ाने पर इनाम जैसी योजनाओं में निवेश करने के लिए प्रेरित किया गया, जिनमें मुख्यत: रजत शर्मा उर्फ राजेश कुमार, मोबाइल नम्बर 7568811177, 8690060119, ईश्वर वर्मा मोबाइल नम्बर 9529310840, मंगलेश कुमार शर्मा मोबाइल नम्बर 9785984745, सुरेन्द्र सैनी मोबाइल नम्बर 7690800176, शाहरुख खान मोबाइल नम्बर 9983460418, सुरेन्द्र बरवार मोबाइल नम्बर 9530006300, अतुल शर्मा मोबाइल नम्बर 9828467615, नरेन्द्र डागुर 9414878141, सोनू उर्फ मनोज कुमार शर्मा मोबाइल नम्बर 9799850099 एवं उनके अन्य साथियों द्वारा यह स्कीम लोगों को जल्दी ज्यादा पैसे कमाने का साधन बिना किसी जोखिम के बताते हैं जो सोशल मीडिया पर भी प्रचार-प्रसार भी एक संगठित गिरोह के माध्यम से किया जा रहा है। इसकी प्रारम्भिक जांच से यह पाया गया कि यह एप्लीकेशन न तो भारत में SEBI या RBI या MCA या किसी भी सक्षम प्राधिकरण से पंजीकृत है, न ही किसी विनियमित जमा योजना (Regulated Deposit Scheme) के तहत कार्यरत है। यह एप्लीकेशन अनियमित जमा योजना (unregulated Deposit Scheme) के अंतर्गत जनता से धन संग्रह कर रही है और धोखाधड़ी कर राशि हड़प रही है, इत्यादि। उक्त रिपोर्ट पर पुलिस थाना मथुरा गेट, भरतपुर पर एफ.आई.आर. संख्या 703/2025, अपराध अंतर्गत धारा 3, 5, 21, 23 अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम, 2019, धारा 3, 4 इनामी चिट फण्ड एवं धन परिचालन स्कीम (पाबंदी) अधिनियम, 1978 तथा धारा 318(4), 112(2) भारतीय न्याय संहिता, 2023 दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया। बाद अनुसंधान सह-आरोपीगण रजत शर्मा, ईश्वर वर्मा, मंगलेश शर्मा, सुरेन्द्र सैनी, सुरेन्द्र बरबार, संदीप सिगर, विजय मोर्या, नरेन्द्र कुमार डागुर, शाहरुख खान एवं सोनू उर्फ मनोज कुमार शर्मा व अन्य के विरुद्ध धारा 193(9) बी.एन.एस.एस. के तहत अनुसंधान लम्बित रखा गया तथा आरोपीगण अतुल कुमार शर्मा, मुकुल कुमार शर्मा, कृष्ण कुमार शर्मा, राकेश कुमार पाण्डे, उमरावमल के

विरुद्ध धारा 3, 5, 21, 23 अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम, 2019, धारा 3, 4 इनामी चिट फण्ड और धन परिचालन स्कीम अधिनियम, 1978 एवं धारा 318(4), 316(2), 112(2) बी.एन.एस. एवं धारा 66डी आई.टी. एक्ट के अपराध के आरोपों में चालान पेश किया गया जो प्रकरण अभी दर्ज नहीं हुआ है।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं केस डायरी/चालान पत्रावली का अवलोकन किया गया। आरोपी/प्रार्थी एवं अन्य सह-आरोपीगण के विरुद्ध संगठित गिरोह के रूप में XPO.RU नामक वेबसाइट व मोबाइल एप्लीकेशन के जरिये निवेश के नाम पर उच्च लाभ, बोनस, रैफर एण्ड अर्न, रोजाना व हफ्ते में ज्यादा ब्याज तथा सदस्य बढ़ाने पर इनाम का लालच देकर अत्यधिक मात्रा में धन एकत्रित करने के आरोप हैं, जबकि उक्त वेबसाइट व एप्लीकेशन फाइनेंशियल रेग्युलेटरी अथॉरिटी से रजिस्टर्ड नहीं है। XPO.RU कम्पनी के नाम पर फ्रॉड के लिए पैसे नकद में एकत्रित कर वेबसाइट पर वॉलेट में डालना, क्रिप्टो करेंसी खरीदना, कई लोगों द्वारा कम्पनी का प्रमोशन करना व कम्पनी के नाम के चैट ग्रुप बने होना पाया गया है। आरोपी/प्रार्थी से जब्त किए गए मोबाइल में XPO.RU से संबंधित भुगतान लेने संबंधी चैट पाई गई है एवं ट्रांसलिंक वॉलेट में यूएसडीटी वॉलेट में भी काफी मात्रा में ट्रांजेक्शन पाए गए हैं तथा उसकी सूचना के आधार पर 8 लाख 90 हजार रुपये नकद, 2 सोने जैसी अंगूठी, बृजेश के नाम कुल 3 प्रोपर्टी के कागजात, स्विच ऑफ 2 मोबाइल, चांदी के सिक्के, चांदी जैसी 8 तोड़िया, कड़े, चूडी, अंगूठी आदि बरामद हुए हैं। XPO.RU कम्पनी सेबी/आरबीआई या अन्य किसी भारतीय फाइनेंशियल रेग्युलेटरी अथॉरिटी से रजिस्टर्ड हो, ऐसा तथ्य पत्रावली में मौजूद नहीं है। आरोपी/प्रार्थी के मोबाइल से जुटाई गई साक्ष्य से भी यही प्रतीत होता है कि उसके द्वारा बड़ी मात्रा में यूएसडीटी लिए गए हैं तथा उसके मोबाइल में किसी अन्य व्यक्ति से XPO.RU में जमा करवाई गई राशि के संबंध में चैट भी मिली है। XPO.RU कम्पनी में छलपूर्वक एवं लालच देकर भोले-भाले लोगों से राशि जमा कराने संबंधी अन्य पीड़ितों द्वारा भी कई एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई हैं। यद्यपि, प्रकरण में आरोपपत्र पेश हो चुका है, किन्तु आरोपी/प्रार्थी एवं सह-आरोपीगण द्वारा प्रथम-दृष्ट्या लोगों को छलपूर्वक बड़ी-बड़ी राशि इन्वेस्ट करने एवं उन्हें उच्च लाभ देने का प्रलोभन देकर प्रोत्साहित कर उनसे करीब 3100 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की गई है। प्रकरण में सह-आरोपीगण के संबंध में अनुसंधान किया जाना शेष है। ऐसी स्थिति में, प्रकरण में ऐसे तत्व मौजूद हैं, जिनके आधार पर यदि आरोपी/प्रार्थी को इस स्टेज पर जमानत का लाभ दिया जाता है तो उसके द्वारा प्रकरण के शेष अनुसंधान तथा साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करने एवं गवाहों को डराने-धमकाने की पूर्ण संभावना है। इसलिए उपरोक्त सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किए बिना, मेरे विनम्र मत में, आरोपी/प्रार्थी को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

6. परिणामत: आरोपी/प्रार्थी राकेश कुमार पुत्र श्री अशोक कुमार, उम्र 26 वर्ष, निवासी

भुसावर, पुलिस थाना भुसावर, जिला भरतपुर (राज.) की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 अस्वीकार कर खारिज किए जाता है।

(बलजीत सिंह)
सेशन न्यायाधीश
भरतपुर

यह आदेश आज दिनांक 17.01.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(बलजीत सिंह)
सेशन न्यायाधीश
भरतपुर